संख्या- 95 /2023/2211/नौ-9-2023-001-ई-1732394

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2023**

विषय: स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (SUDM-UP) की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-K-14012/101(01) 2019-SC-Desk-(IV), दिनांक 04 जुलाई 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (SUDM-UP) की परियोजना हेतु **कुल सहायता धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 37.50 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 12.50 करोड़ (रू0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (SUDM-UP) के बैंक एकाउन्ट में अन्तरित की जाएगी एवं स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 04.07.2023 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार प्रश्नगत धनराशि मिशन निदेशक स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (SUDM-UP) द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि के संबंध में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की गाईडलाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) SUDM के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी मिशन निदेशक, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो,

सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(7) निकाय द्वारा 'सैंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/ दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 12,50,00,000 (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 **लेखा शीर्षक 2217058000101** नगरीय निकायों में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन केंद्र 100 मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **E-9-349-X-2023-24, दिनांक- 07 दिसम्बर, 2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 95 /2023/2211/नौ-9-2023-001-ई-1732394, तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी।
8. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

2604334/2023/ -9

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-E-1732394

विषय:- नगरीय निकायों में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन हेतु 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिये यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट संबंधी कार्य के मद से पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2215021070512 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ ला.17 - के.)	35 (पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान)	8,41,09,04,505 रुपये आठ अरब इकतालीस करोड़ नौ लाख चार हजार पांच सौ पांच मात्र	5,84,78,54,505 रुपये पांच अरब चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख चौवन हजार पांच सौ पांच मात्र	-12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	8,28,59,04,505	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217058000101 (नगरीय निकायों में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन केंद्र 100)	20 (सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	0	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,50,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) **"01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिये यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट संबंधी कार्य-35 पूंजीगत परिसम्मितियों के सृजन हेतु अनुदान" मद** हेतु परिपक्व प्रस्तावों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) नगरीय निकायों में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:- आर0ई0-बजट-1-169-2023-24, दिनांक- 09 नवम्बर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,

उ.प्र., प्रयागराज।

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

2604334/2023/ -9

संख्या:- आर0ई0-बजट-1-169-2023-24, दिनांक- 09 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- मिशन निदेशक, एस0बी0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)।

7- नगर विकास अनुभाग-5।

8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(मोहम्मद वासिफ)

अनु सचिव।